न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी(राजस्व), संगरिया
पीठासीन अधिकारी :- राकेश कुमार मीना(आर.ए.एस.)

प्रकरण सं. 173/2024

वाद अ. धारा 88 आर.टी.ए.

रामस्वरूप पुत्र स्व. श्री बृजलाल जाति मेघवाल निवासी लीलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

– वादी

बनाम्

1. पवन कुमार पुत्र स्व. श्री बृजलाल जाति मेघवाल निवासी लीलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
2. मथरा देवी पत्नी स्व. श्री कृष्ण कुमार पुत्र स्व. श्री बृजलाल जाति मेघवाल निवासी लीलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
3. मुकेश कुमार पुत्र स्व. श्री कृष्ण कुमार पुत्र स्व. श्री बृजलाल जाति मेघवाल निवासी लीलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
4. बाबुलाल पुत्र स्व. श्री कृष्ण कुमार पुत्र स्व. श्री बृजलाल जाति मेघवाल निवासी लीलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
5. कांता रानी पुत्री स्व. श्री कृष्ण कुमार पुत्र स्व. श्री बृजलाल जाति मेघवाल निवासी लीलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
6. [illegible] देवी पुत्री स्व. श्री कृष्ण कुमार पुत्र स्व. श्री बृजलाल जाति मेघवाल निवासी लीलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
7. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।

– प्रतिवादीगण

उपस्थिति :-

वादीगण की ओर से :- श्री महावीर बेरड़, एडवोकेट

प्रतिवादी की ओर से :- श्री कुलदीप मुण्ड, एडवोकेट

निर्णय दिनांक :- 09.5.2024

वादी रामस्वरूप ने प्रतिवादीगण पवन कुमार वगैरा के विरूद्ध यह राजस्व वाद बाबत् घोषणा का इस न्यायालय में पेश किया कि यह कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 6 जो कि एक ही संयुक्त परिवार के सदस्य [illegible] के स्व. दादा पन्ना पुत्र श्री देदा के नाम से तहसील संगरिया के चक [illegible] डी पी. के खाता सं. 59/38 जमाबन्दी सम्वत् 2073-[illegible] में कुल खाता 0.[illegible] है. में से 1/4 हिस्सा अर्थात् 0.1897 है. कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त चक के खाता की जमाबन्दी की प्रमाणित प्रतिलिपि सलंग्न वाद [illegible] है। यह कि वाद पत्र की चरण सं. 3 में वर्णित कृषि भूमि जो कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 6 की संयुक्त खाता की संयुक्त विरासतन कृषि भूमि है

लगातार --2

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh K
Meena
Date: 2024.05.21 16:03:18 IS
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

जिसमें वादी का जन्म से हित एवं स्वत्व निहित है परन्तु उक्त समस्त कृषि भूमि वादी के नाम से राजस्व रिकार्ड में बंटवारानुसार दर्ज नही होने के कारण तथा प्रतिवादी सं. 1 ता 6 के अन्य लोगों के प्रभाव में होन व उक्त भूमि की आय का अपने निजी व्यसनों पर खर्च करने के कारण वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 6 के मध्य विवाद हो गया व आपस में कटुता पैदा हो गई इस पर रिश्तेदारों आदि ने जरिये पंचायत वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 6 के मध्य राजीनामा व बंटवारा करवा दिया जिसमें प्रतिवादी सं. 1 ता 6 ने उक्त कृषि भूमि में अपने हक व हिस्सा का परित्याग मौखिक रूप से वादी के पक्ष में बंटवारानुसार कर दिया। इसलिये प्रतिवादी सं. 1 ता 6 का अब उक्त कृषि भूमि में कोई हित व स्वत्व निहित नही रहा हैं। वादी को बंटवारा में प्राप्त कृषि भूमि का वर्णन निम्न प्रकार से हैः-

(क) वादी **रामस्वरूप पुत्र स्व. श्री बृजलाल जाति मेघवाल निवासी लीलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाश्त की कृषि भूमिः-**

तहसील संगरिया के चक 3 डी.एल.पी. के खाता सं. 59/38 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76 में 0.1897 है. कृषि भूमि

यह कि वाद पत्र की चरण सं. 3 में वर्णित कृषि भूमि जो कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 6 की संयुक्त खाता की संयुक्त कृषि भूमि हैं जिसमें वादी का हित एवं स्वत्व निहित है। वाद पत्र की चरण सं. 4 के अनुसार वादी खातेदार काश्तकार होने की घोषणा करवाने के अधिकारी एवं दावेदार है। यह कि वाद पत्र की चरण सं. 3 में वर्णित कृषि भूमि जो कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 6 की संयुक्त खाता की संयुक्त कृषि भूमि हैं जिसमें वादी का हित एवं स्वत्व निहित है। वादी ने वाद पत्र की चरण सं. 4 के अनुसार वादी खातेदार काश्तकार होने की घोषणा करवाने हेतु कहा तो कुछ दिन तक तो प्रतिवादी सं. 1 ता 6 टाल मटोल करते रहे, आखिर गत् सप्ताह ऐसा करने से कतई इन्कार हो गये। बस यही वाद कारण है।

उक्त तथ्यों के आधार पर वाद पत्र पेश होने पर सीगेदार की रिपोर्ट के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 ता 6 द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से सहमति के जवाब दावे प्रस्तुत किये गये, जो शामिल मिसल [illegible]। प्रतिवादी सं. 7 का जवाब स्टेट पेश हुआ। जो शामिल मिसल किया गया। [illegible] पत्र के समर्थन में वादी के द्वारा तहसील संगरिया के चक 3 डी.एल.[illegible] के खाता सं. 59/38 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76 की प्रति पेश [illegible] प्रदर्श-1 है। साक्ष्य वादी में वादी का शपथ पत्र अ. धारा 18 नियम [illegible] य.प्र. सं. पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। साक्ष्य प्रतिवादीगण बन्द की गई।

लगातार --3

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh K
Meena
Date: 2024.05.21 15:03:18 I
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

बहस उभयपक्ष सुनी गई। बहस में वादी के अभिभाषक ने कथन किया कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 6 संयुक्त परिवार के सदस्य है तथा आपस में कोई विरोध नही है। प्रतिवादी सं. 1 ता 6 द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से सहमति के जवाब दावे प्रस्तुत किये गये। वाद पत्र में घोषणा का अनुतोष चाहा गया है। बहस में वकील वादी एवं वकील प्रतिवादी सं. 1 ता 6 ने सहमति के जवाब दावे अनुसार वाद पत्र डिक्री किये जाने पर सहमति दी। वकील वादी ने वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया। जिसका वकील प्रतिवादीगण ने कोई विरोध नही किया।

वाद पत्र में वर्णित आराजी वादी के स्व. दादा पन्ना पुत्र श्री देदा के नाम से तहसील संगरिया के चक 3 डी.एल.पी. के खाता सं. 59/38 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76 में कुल खाता 0.759 है. में से 1/4 हिस्सा अर्थात् 0.1897 है. कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रतिवादी सं. 1 ता 6 द्वारा सहमति के जवाब दावे प्रस्तुत करने के कारण तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नही है। वाद पत्र में वर्णित कृषि भूमि संयुक्त परिवार की संयुक्त कृषि भूमि है। वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 6 एक ही परिवार के सदस्य है। वाद पत्र का कोई विरोध हमारे समक्ष नही आया है। वाद पत्र मुताबिक सहमति के जवाब दावे अनुसार डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

-:: क्रियात्मक आदेश ::-

अतः वाद वादी मुताबिक वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 6 द्वारा प्रस्तुत सहमति जवाब दावे अनुसार डिक्री किया जाता है कि वादी के स्व. दादा पन्ना पुत्र श्री देदा के नाम से तहसील संगरिया के चक 3 डी.एल.पी. के खाता सं. 59/38 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76 में कुल खाता 0.759 है. में से 1/4 हिस्सा अर्थात् 0.1897 है. कृषि भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित कर वादी के स्व. दादा पन्ना पुत्र श्री देदा का नाम कलमजन किया जावे।

नोटः- यदि डिक्रीत वादी/प्रतिवादीगण हक आराजी बैक रहन नही है तो अमल दरामद मुताबिक डिक्री किया जावे।

इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावें। पर्चा डिक्री जारी [illegible] पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। पत्रावली बाद [illegible] कम किया दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 9.5.2024 को [illegible] लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh K
Meena
Date: 2024.05.21 16:03:18 I
Reason: SelfAttested

(राकेश कुमार मीना)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी(राजस्व),
संगरिया

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

डिक्री एवं मुकदमें इब्तदाई

(ओ.20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया

पीठासीन अधिकारीः- राकेश कुमार मीना(आर.ए.एस.)

प्रकरण सं. 173/2024

मस्वरूप पुत्र स्व. श्री बृजलाल जाति मेघवाल निवासी लीलांवाली तहसील संगरिया
ला हनुमानगढ़(राज.)

– वादी

बनाम्

वन कुमार पुत्र स्व. श्री बृजलाल जाति मेघवाल निवासी लीलांवाली तहसील संगरिया
ला हनुमानगढ़(राज.)

थरा देवी पत्नी स्व. श्री कृष्ण कुमार पुत्र स्व. श्री बृजलाल जाति मेघवाल निवासी
ोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

केश कुमार पुत्र स्व. श्री कृष्ण कुमार पुत्र स्व. श्री बृजलाल जाति मेघवाल निवासी
ोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

ाबुलाल पुत्र स्व. श्री कृष्ण कुमार पुत्र स्व. श्री बृजलाल जाति मेघवाल निवासी
ोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

ांता रानी पुत्री स्व. श्री कृष्ण कुमार पुत्र स्व. श्री बृजलाल जाति मेघवाल निवासी
ोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

इलू देवी पुत्री स्व. श्री कृष्ण कुमार पुत्र स्व. श्री बृजलाल जाति मेघवाल निवासी
लीलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।

– प्रतिवादीगण

वाद पत्र अ. धारा 88 आर.टी.ए.

दिनांक :- 6.5.2024

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ राकेश कुमार मीना(आर.ए.एस.) के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी **श्री महावीर बेरड** वकील वादी मिन जामिन मुदई **श्री कुलदीप मुण्ड** वकील प्रतिवादी सं. 1 ता 6 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुकम दिया जाता हैं व यह डिक्री दी जाती है कि वादी के स्व. दादा पन्ना पुत्र श्री देदा के नाम से तहसील संगरिया के चक 3 डी.एल.पी. के खाता सं. 59/38 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76 में कुल खाता 0.759 है. में से 1/4 हिस्सा अर्थात् 0.1897 है. कृषि भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित कर वादी के स्व. दादा पन्ना पुत्र श्री देदा का नाम कलमजन किया जावे।

नोट :- यदि डिक्रीत वादी/प्रतिवादी हक आराजी बैंक रहन नही है तो अमल दरामद मुताबिक डिक्री किया जावे।

निज ....X.... निल ....X.... मुब्लिक ....X....निल ....X.... बाबत् ....X....
निल....X.... खर्चा मुकदमें के मयशुद वा शरह [illegible] ....X.... तारीख
वसूलयाबी तक ....X....को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मोहर अदालत [illegible] दिनांक 06.5.2024 को
जारी किया जाता है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.05.21 16:03:18 IST
Reason: SelfAttested

(राकेश कुमार मीना)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी(राजस्व),
संगरिया

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official